<u>वन ट्रिलियन डॉलर</u>

<u>पत्र संख्या : 65/2025/482/35-4-2025/35-4099/53/2025</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

<u>नियोजन अनुभाग-4</u> लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2025

विषय: जिला ओ०टी०डी० सेल का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक लाये जाने हेतु प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किया जा रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश संवर्धन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, विशेष निवेश क्षेत्रों की स्थापना, विनिर्माण, आईटी, स्टार्टअप और कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं।

जनपदों के आर्थिक स्थिति के संज्ञान हेतु नियोजन विभाग द्वारा जनपदवार जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार कर डीडीपी पुस्तिका के रूप में सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाते हैं तथा इन अनुमानों को तैयार किये जाने में प्रयुक्त आंकड़ो का जनपद स्तर पर परीक्षण कर सम्बंधित विभागों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं ।

जनपद स्तर पर वन ट्रिलियन डॉलर योजना के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों की नियमित समीक्षा तथा राज्य स्तर अथवा भारत सरकार को प्रेषित किये जाने वाले आंकड़ो की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **जिला ओ०टी०डी०सेल** का गठन किया जाता है। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी इस सेल के सदस्य-संयोजक होंगे तथा वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था से सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य होंगे। आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी जनपद के अन्य प्रख्यात शिक्षाविद / उद्योगपति आदि को इस समिति में सदस्य रख सकते हैं।

जिला ओ०टी०डी०सेल के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :

- कृषि फसलों / औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की समीक्षा।
- दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता तथा दुग्ध प्रोसेसिंग की समीक्षा ।
- उद्योगों के लिए भूमि आवंटन और स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा ।
- औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं उनके कार्यशील होने तथा सम्बंधित इकाइयों का सुसंगत अधिनियमों में पंजीकरण की समीक्षा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- राजमार्गों, विद्युत ग्रिड, लॉजिस्टिक्स हब, विशेष निवेश जोन / टाउनशिप / औद्योगिक क्षेत्र /प्लेज पार्क आदि अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण की नियमित समीक्षा तथा उनके निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना ।
- औद्योगिक विद्युत् उपभोग की नियमित समीक्षा । सौर ऊर्जा की प्रगति की समीक्षा।
- जनपद से सॉफ्टवेयर निर्यात विशेषकर STPI से निर्यात की नियमित समीक्षा । आई०टी० यूनिट्स की STPI में पंजीकरण की समीक्षा ।
- नए स्थापित होटल /रेस्टोरेंट तथा बेड की उपलब्धता की समीक्षा ।
- वाणिज्यक वाहनों के पंजीकरण की समीक्षा । PPP मोड़ पर निर्माणाधीन बस अड्डे के निर्माण की समीक्षा ।
- कौशल विकास: स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगों से समन्वय कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप कौशल को चिन्हित करना तथा तदनुसार कौशल प्रदान किये जाने की व्यवस्था की समीक्षा ।
- जनपद में आये घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं पर्यटक स्थल पर विकसित किये जा रहे वे साइड एमेनिटीज के प्रगति की समीक्षा ।
- जनपद के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कुल बिक्री की समीक्षा।
- जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये जाने में उपयोग में लाये गए संकेतांको की प्रगति की समीक्षा ।
- जिला अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तैयार किये जाने की समीक्षा ।
- नियोजन विभाग द्वारा समय समय पर वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था से सम्बंधित सौंपे गए अन्य कार्य।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

<u>पत्र संख्या : 65/2025/482/35-4-2025/35-4099/53/2025तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव. आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ,उ0प्र0 शासन ।
3. श्री अवनीश कुमार अवस्थी,सलाहकार, मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश/ डा0 के0वी0राजू, आर्थिक सलाहकार,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश / प्रो0 डी0 पी0 सिंह, सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश / डा0 जी0 एन0 सिंह, सलाहकार, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।
4. अपर मुख्य सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (कृषि / उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण / पशुपालन / मत्स्य / दुग्ध विकास / गन्ना विकास /अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / लघु ,सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम / आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स / ऊर्जा / वित्त विभाग / नगर विकास / आवास एवं शहरी नियोजन / परिवहन / नागरिक उड्डयन /बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / पर्यटन / लोक निर्माण/ राज्य कर / भूतत्व एवं खनिकर्म / आबकारी / स्टाम्प एवं पंजीयन /श्रम विभाग/) उ०प्र० शासन।
6. सचिव / विशेष सचिव/ नियोजन विभाग,उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
8. समस्त मंडलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।
9. निदेशक,अर्थ एवं संख्या को इस निर्देश के साथ कि जनपदों में जिला ओ०टी०डी०सेल के गठन कराया जाना एवं उसके नियमित बैठक कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
10. समस्त प्रभागाध्यक्ष,राज्य नियोजन संस्थान / अपर निदेशक एस0टी0सी० ।
11. समस्त मंडलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या), उत्तर प्रदेश ।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।